मु.नं.–40 / 2021 GCMS ID-2021/71 ता.रजु–01.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेश कश्यप (आर.टी.आई. कार्यकर्ता) कार्या. श्याम प्लाजा, दिलसुख की टाल के सामने, डैम्प रोड, हिण्डौनसिटी, जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.2021, 22.07.2021, 29.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर आपके द्वारा हिण्डौन सिटी उपखण्ड में दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 24.04.2021 तक कितने चालान बगैर मास्क लगाये हुए लोगों के काटे, नियमानुसार कितनी राशि के काटे, तथा मास्क नहीं लगाने पर कितना जुर्माना है तथा उन सब काटे हुए चालानों की रसीदों की क्रम संख्या सूची राशि लिस्टों तथा काटे गये लोगों के चालानों की मय फोटो सहित सी.डी. में सभी रिपोर्टों की प्रमाणित प्रति व दिनांक 15.04.2021 को मुसाफिर खाने हिण्डौन में आयोजित मीटिंग के आदेश निर्देशों तथा किसके द्वारा उक्त मीटिंग बाबत् दिये प्रार्थना पत्र आदेश निर्देशों सहित सभी रिपोर्टों की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 127 दिनांक 28.04.2021 को अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें लोकहित से संबंधित नहीं हैं तथा ना ही ऐसी कोई सूचना कार्यालय में संधारित है। अतः सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है परंतु प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना संधारित नहीं होने पर प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित कार्यालय को अपीलार्थी का आवेदन पत्र अंतरित किया जाना चाहिये था जो प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया।
7. अतः हम अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे संबंधित कार्यालय को अपीलार्थी का आवेदन अंतरित करें।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली